



2026:AHC:16988

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3053, वर्ष 2025

अजय कुमार पटेल
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कमलेश कुमार सिंह, विवेक कुशवाहा
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी., विजय शंकर
त्रिपाठी, विनोद शंकर त्रिपाठी

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजश कुमार तिवारी राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री विजय शंकर त्रिपाठी निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-गण सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"A. परमादेश रिट की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को यह निर्देश दिया जाए कि वे आराजी संख्या 675 क्षेत्रफल 0.0060 हेक्टेयर और आराजी संख्या 675 क्षेत्रफल 0.1750 हेक्टेयर पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दें; ये भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में क्रमशः 'बंजर' और 'चरागाह' के रूप में दर्ज हैं। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को यह भी निर्देश दिया जाए कि वे 'बंजर' और 'चरागाह' की मूल स्थिति को बहाल करें।"

B. परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.08.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विचाराधीन भूखंड राजस्व अभिलेख में 'बंजर' और 'चरागाह' के रूप में दर्ज हैं, और निजी प्रतिवादी उन पर अवैध कब्ज़ा जमाए हुए हैं;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अतः, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे विचाराधीन भूखंड से अनाधिकृत कब्ज़ाधारियों को हटाने के लिए उचित कदम उठाएँ।

4. एस.डी.ओ., फूलपुर, प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.10.2025 को भेजा गया निर्देश अभिलेख पर लिया गया।

5. श्री राजेश कुमार तिवारी, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 25.10.2025 के निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि भूखंड संख्या 675 दो भागों में विभाजित है, जिसमें से 0.0060 हेक्टेयर क्षेत्र 'बंजर' के रूप में और 0.1750 हेक्टेयर क्षेत्र 'चारागाह' के रूप में दर्ज है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए गठित राजस्व टीम ने संबंधित भूखंड का सीमांकन किया है और चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है; इसके बाद, उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस भूमि पर अवैध कब्जे में पाए गए, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही दर्ज की गई है, जिनके वाद संख्या T202502030219735, T202502030219737 और T202502030219739 हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि बंजर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत एक कार्यवाही वर्ष 2007 से तहसीलदार के समक्ष लंबित है, जिसका वाद संख्या 209/267/561 (वर्ष 2007) है। उन्होंने बताया कि लंबित कार्यवाही के निस्तारण के उपरांत, संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

6. निजी प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रस्तुत याचिका जनहित में दायर नहीं की गई है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के अंतर्गत की गई कार्यवाही अवैध एवं मनमाने ढंग से प्रारंभ की गई है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस जनहित याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, फूलपुर, प्रयागराज, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एव. भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत उपर्युक्त कार्यवाही को, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, शीघ्रता से और तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

22 જાનવરી 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"